



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102026-277084
CG-DL-E-12102026-277084

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5370]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2026/आश्विन 20, 1948

No. 5370]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2026/ASVINA 20, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5582(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के साथ ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"10	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 20 [चक्रधरपुर से हाटगम्हरिया खंड (पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-75 के किमी. 116.00 से किमी. 176.000 तक)], संख्या 43 [रांची-गुमला खंड (पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के किमी. 2.90 से किमी. 88.600 तक को छोड़कर) और रांची-जमशेदपुर का रांची-चांडिल खंड (पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के किमी. 114 .000 से किमी. 277.500 तक) और गुमला से झारखंड/छत्तीसगढ़ सीमा खंड) (24 किमी) पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-78], संख्या 114 ए (गिरिडीह बाईपास), संख्या 133 [किमी. 12.000 से किमी. 93.000 तक (झारखंड/बिहार सीमा-महागामा-हंसडीहा खंड) को छोड़कर], संख्या 133ए , संख्या 143, संख्या 143ए , संख्या 143बी , संख्या 143एजी , संख्या 218, संख्या 220, संख्या 320डी , संख्या 320जी , संख्या 333, संख्या 333ए , संख्या 343, और संख्या 419 झारखंड राज्य के भीतर स्थित हैं।	झारखंड राज्य सरकार".

[फा. सं. एनएच-14013/4/2025-पीएंडएम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का. आ. 1096 (अ), दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का. आ. 5138 (अ), दिनांकित 18 सितम्बर, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2026

S.O. 5582(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

(1)	(2)	(3)
"10	So much of New National Highways No. 20 [From Chakradharpur to Hatgamhariya section (km. 116.00 to km. 176.000 of old NH-75)], No.43 [Excluding from Ranchi- Gumla Section (km 2.90 to km 88.600 of old NH No. 23) and Ranchi-Chandil section of Ranchi- Jamshedpur (km. 114.000 to km.277.500 of old NH No. 33) and Gumla to Jharkhand/Chhattisgarh Border section) (24km) of old NH-78], No. 114 A (Giridh bypass), No.133 [excluding from Km. 12.000 to km. 93.000 (Jharkhand/Bihar border-Mahagama-Hansdiha section)], No. 133A, No. 143, No. 143A, No. 143B, No. 143AG, No. 218, No. 220, No. 320D, No. 320G, No. 333, No. 333A, No. 343, and No. 419 as are situated within the State of Jharkhand.	State Government of Jharkhand".

[F. No. NH-14013/4/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 5138 (E), dated the 18th September, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5583(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड को कॉलम (2) में विनिर्दिष्टानुसार उक्त तालिका के कॉलम (1) में तदनुरूप प्रविष्टि के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	किमी में लंबाई
(1)	(2)	(3)
एनएच-20	रांची - खूंटी - चक्रधरपुर खंड (झारखंड राज्य में)	140.00 किमी
	हाटगम्हरिया - झारखंड/ओडिशा सीमा (जयंतगढ़ के निकट) खंड (झारखंड राज्य में)	25.00 किमी
एनएच -139	राजहरा के निकट एनएच-39 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर झारखंड राज्य में छतरपुर, हरिहरगंज, औरंगाबाद, दाउदनगर, अरवल, नौबतपुर, अनिशाबाद को जोड़ने वाला और बिहार राज्य में सरिस्ताबाद (पटना) के निकट एनएच-22 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	झारखंड राज्य में पड़ने वाला समग्र रारा
एनएच -522	झारखंड राज्य में चतरा के निकट एनएच-22 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर हजारीबाग को जोड़ने वाला और बगोदर के निकट एनएच-19 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	झारखंड राज्य में पड़ने वाला समग्र रारा
एनएच-114ए	एनएच-14 पर रामपुरहाट से शुरू होकर पश्चिम बंगाल राज्य में सुनरीचुआ को झारखंड राज्य में एनएच-19 पर शिकारीपारा, दुमका, लकरापहाड़ी, जामा, जरमुंडी, चौपा मोर, देवघर, सारठ, मधुपुर, गिरिडीह के साथ जोड़ने वाला और डुमरी (गिरिडीह बाईपास को छोड़कर) में समाप्त होने वाला राजमार्ग।	झारखंड राज्य में पड़ने वाला समग्र रारा

[फा.सं. एनएच-14013/4/2025 -पीएंडएम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2026

S.O. 5583(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

Table

National Highway number	Section	Stretch in kilometers
(1)	(2)	(3)
NH-20	Ranchi – Khunti – Chakradharpur Section (In the State of Jharkhand)	140.00 km.
	Hatgamhariya – Jharkhand/Odisha border (near Jaintgarh) Section (In the State of Jharkhand)	25.00 km.
NH-139	The highway starting from its junction with NH-39 near Rajhara connecting Chhatarpur, Hariharganj in the State of Jharkhand, Aurangabad, Daudnagar, Arwal, Naubatpur, Anishabad and terminating at its junction with NH-22 near Saristabad (Patna) in the State of Bihar.	Entire NH falling in the state of Jharkhand
NH-522	The highway starting from its junction with NH-22 near Chatra connecting Hazaribagh and terminating at its junction with NH-19 near Bagodar in the State of Jharkhand.	Entire NH in the state of Jharkhand
NH-114A	The highway starting from Rampurhat on NH-14 connecting Sunrichua in the state of West Bengal connecting Shikaripara, Dumka, Lakrapahari, Jama, Jarmundi, Choupa More, Deogarh, Sarath, Madhupur, Giridhi and terminating at Dumri (Except Giridih Bypass) on NH-19 in the state of Jharkhand.	Entire NH falling in the state of Jharkhand

[F. No. NH-14013/4/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5584(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 4 जुलाई, 2023 को प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2933(अ), दिनांकित 4 जुलाई, 2023 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा.सं. एनएच-14013/4/2025-पीएंडएम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2026

S.O. 5584(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2933(E), dated the 4th July, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th July, 2023, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/4/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director